...पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर

किस्म मुकदमा आमीन बनाम छोटी देवी

225 LRA मु. नं0 122 वर्ष 2023

दिनांक	आज्ञा पत्र	
6-11-23	अपील दर्ज रजिस्टर हो। स्थगन पर वकील अपीलांट को सुना गया। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 05.05.2023 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 प्रस्तुत कर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा चाही गई थी। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 05.05.2023 से 30.10.2023 तक कुल 26 तारिख पेशी दी जा चुकी है। आगामी तारिख पेशी 20.12.2023 नियत की गई है किन्तु आज दिनांक तक अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के सन्दर्भ में कोई भी निर्णय पारित नही किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी अपीलांट के हित प्रभावित होना प्रथम दृष्टया प्रकट होता है। अत प्रकरण में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर अन्तिम निस्तारण हेतु इसी स्तर पर विचारण न्यायालय को प्रकरण प्रति प्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अत उभयपक्ष को विवादित भूमि खसरा नम्बर 2726 ,2879,2880,2881 वाके कस्बा झुंझुनू की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने एवं विवादित भूमि का कृषि से अकृषि उपयोग व परिवर्तन नही करने के लिये पाबन्द किया जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उनके समक्ष लम्बित आवेदन धारा 212 का अन्तिम निस्तारण आगामी दो माह में किया जाना सुनिश्चित करे। तब तक उक्त स्थगन प्रभावी रहेगा। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शूमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)	भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी ★ सीकर ★ सत्यमेव जयते